कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 1497 /सम्भल/14361/2015, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 17, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग—2,
लखनऊ।

विषय : सम्भल में आगरा—मुरादाबाद मार्ग (एन0एच0—93) किमी0 146 की बायीं पटरी पर **ग्राम—रसूलपुर** के खसरा सं0—149 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.2138 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 8 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ :भारत सरकार का पत्रांक—8बी/यूपी/06/56/2016/एफसी/161, दि0 29.06.2016,
शासन का पत्रांक—भा0स0—154/14—2—2016—800(88)/2016, दिनांक 11.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उ0प्र0शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव उ0प्र0शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। उक्त कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं (बिन्दु—1, 6 व 13 के अतिरिक्त) का निराकरण वन संरक्षक, मुरादाबाद के पत्रांक—1714/14—1, दि0 13.12.16 द्वारा तथा बिन्दु—1, 6 व 13 का निराकरण वन संरक्षक, मुरादाबाद के पत्रांक—2041/14—1, दिनांक 12.01.17 द्वारा कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये हैं। अतः वन संरक्षक, मुरादाबाद के उक्त दोनों पत्र व संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियॉ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि एक प्रति भारत सरकार प्रेषित करते हुए प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 1497 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
2— प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।
3— डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए—5, से0—3, नोएडा।

17/1/17

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।